

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक डे-20/म0स्वा0कार्य0/(सामा-669)/2019/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती इन्द्रा कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाघसरा आथुना, सुजानगढ़ चूरु को परीक्षाकाल अवधि में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

- 1 दिनांक 24.10.2017 से 29.10.2017 तक कुल 6 दिवस का असाधारण अवकाश।
- 2 दिनांक 31.10.2017 से 07.11.2017 तक कुल 8 दिवस का असाधारण अवकाश।
- 3 दिनांक 08.11.2017 से 21.11.2017 तक कुल 14 दिवस का असाधारण अवकाश।
- 4 दिनांक 14.03.2018 से 15.03.2018 तक कुल 2 दिवस का असाधारण अवकाश।
- 5 दिनांक 17.03.2018 का कुल 1 दिवस का असाधारण अवकाश।
- 6 दिनांक 27.03.2018 का कुल 1 दिवस का असाधारण अवकाश।
- 7 दिनांक 04.04.2018 का कुल 1 दिवस का असाधारण अवकाश।
- 8 दिनांक 06.04.2018 का कुल 1 दिवस का असाधारण अवकाश।
- 9 दिनांक 10.04.2018 का कुल 1 दिवस का असाधारण अवकाश।
- 10 दिनांक 20.04.2018 का कुल 1 दिवस का असाधारण अवकाश।
- 11 दिनांक 24.04.2018 से 27.04.2018 तक कुल 4 दिवस का असाधारण अवकाश।
- 12 दिनांक 01.06.2018 का कुल 1 दिवस का असाधारण अवकाश।
- 13 दिनांक 16.06.2018 से दिनांक 21.06.2018 तक कुल 06 दिवस का असाधारण अवकाश।

द्विक्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसार एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उष्णभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा माह उनके परिशिष्टांगल में अभिवृद्धि की जावेगी।

<sup>SK</sup>  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक डे-20/म0स्वा0कार्य0/(सामा-669)/2019/ 1216

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु।
- 2 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुजानगढ़, चूरु।
- 3 प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4 सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 5 आदेश/रक्षित पत्रावली।

<sup>SK</sup>  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर